मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 23-11/2017/25-5 भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर, 2018

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
भोपाल

विषय: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में संशोधन।

संदर्भ: समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 हेतु संशोधित निरन्तरता जारी की गई है। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. आदेश की कंडिका (1) में निम्नानुसार जोडा जाता है:-

अशासकीय संस्थाओं के जिन पाठयक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की जाती है ऐसी अशासकीय संस्थाओं के उन पाठयक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित फीस देय होगी।

2. संदर्भित आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के संशोधन शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 से लागू होंगे।

3. शेष यथावत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

पृ.क्र. एफ 23-11/2017/25-5 भोपाल, दि. सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, समन्वय, भोपाल
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेलः comscd@nic.in

पृष्ठा.क्रमांक/शिक्षा-1/2018-19/ 5822 भोपाल दिनांक 18-9-18

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) एवं राज्य सूचना अधिकारी (एस.आई.ओ.), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी), विध्यांचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ 23-11/2017/25-5

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
भोपाल

विषय: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में संशोधन।

संदर्भ: समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2018

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 हेतु निरन्तरता प्रदान की गई है।

राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में वित्तीय आकार केंद्रांश राशि रू. 18764.81 लाख तथा राज्यांश राशि रूपये 83735.19 लाख के निर्धारण के साथ निम्नानुसार संशोधन अनुसार निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) जिन अशासकीय संस्थाओं के पाठयक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गई है उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की आय सीमा रू. 3.00 लाख से बढाकर रू. 6.00 लाख वार्षिक की जाती है। रूपये 2.50 लाख तक की आय सीमा का व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और रूपये 2.50 लाख से रू. 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा।

अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठयक्रम जिनकी फीस "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित नहीं की गई है उन पाठयक्रमों की फीस पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के पाठयक्रमों के समतुल्य भुगतान की जायेगी।

(2) मा. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी एच डी तक शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाना है। उक्त घोषणा के आधार पर "पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।

12 SEP 2018

JD

AD शिक्षा
प्रस्तुत करें
12/9/18

Scanned by CamScanner

(3) योजना का नाम "पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के स्थान पर "छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12 वीं एवं महाविद्यालयीन" किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
भोपाल, दि. 12 सितम्बर, 2018

पृ.क्र. एफ 23-11/2017/25-5 5892

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, समन्वय, भोपाल
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
9. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, संचालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
राजीव गाँधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेलः comscd@nic.in

पृष्ठा.क्रमांक/शिक्षा-1/2018-19/ 5825 भोपाल दिनांक 18-9-18

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप महानिदेशक (डी.डी.जी.) एवं राज्य सूचना अधिकारी (एस.आई.ओ.), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी), विध्यांचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातिय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner